न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 33/2023

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सिल्लू पुत्र श्री सोमबक्स सिंह, स्टॉल नम्बर 08, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर।
   (स्थायी पता – ग्राम गेवैदपुरा, उमरी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश पिन 477331) **(खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)**
2. श्री सुभाष जैन पुत्र श्री कालूराम जैन, प्रोपराईटर, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर।
   (स्थायी पता – 30, मिशन हॉस्पिटल की गली, रतलाम जिला रतलाम मध्यप्रदेश पिन 457001 (2) 104, वेद व्यास कॉलोनी, रतलाल जिला रतलाम पिन 457001) **(खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी)**
3. मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर।
4. **(मैसर्स)** जानवी रेस्टोरेन्ट एंण्ड कैटर्स, दुकान नम्बर 4/45, न्यू गीता कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड, अजमेर जिला अजमेर।
   (**पत्राचार का पता** – 454/33, पाल बीचला, अन्धेरी पुलिया के पास, अजमेर जिला अजमेर) **(वितरक)**
5. श्रीमती रश्मि गुप्ता पत्नी श्री दीपक कुमार, प्रोपराईटर जानवी रेस्टोरेन्ट एंण्ड कैटर्स, दुकान नम्बर 4/45, न्यू गीता कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड, अजमेर जिला अजमेर।
   स्थायी पता– 26ए, प्रभात, संत कंवरराम कॉलोनी, फॉयसागर रोड, अजमेर जिला अजमेर **(प्रोपराईटर/वितरक)**
6. शिव हैल्थ फूड्स एलएलपी, ई 164–167, एफ 178–183, रीको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, ग्राम रामपुर, झालावाड़ रोड, कोटा जिला कोटा पिन 325003 **(फर्म/निर्माता)**
7. श्री द्वारकालाल नागर पुत्र श्री नन्दलाल नागर, मैनेजर, शिव हैल्थ फूड्स एलएलपी, ई 164–167, एफ 178–183, रीको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, ग्राम रामपुर, झालावाड़ रोड, कोटा जिला कोटा पिन 325003
   स्थायी पता – ग्राम डोबरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ **(नॉमिनी/निर्माता)**

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 7 श्री द्वारकालाल नागर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

: आदेश :–

दिनांक– 04.12.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) स्टर्लाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.05.2022 को 13:00 पीएम पर खाद्य संरक्षा अधिकारी अजमेर स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 2/3 पर रिफ्रेशमेन्ट स्टाल सं 8, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज के निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री सिल्लू मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय स्टर्लाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश के कई पॉली पैक बोतल आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त स्टर्लाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 12 पॉलीपेट बोतल (प्रत्येक 180 मिली) 360/– रूपयें श्री सिल्लू को नगद देकर गवाह श्री विनोद कुमार के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सिल्लू को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा स्टर्लाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश को बराबर बराबर मात्रा में भरकर चार नमूना भाग तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उप रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 911 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर को श्री विनोद कुमार सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–911 दिनाक 30.05.2022 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/730/एक्ट/2022/588 दिंनाक 26.05.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया स्टर्लाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश अवमानक (सब

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री सिल्लू द्वारा पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 14.06.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 7 श्री द्वारकालाल नागर ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनके रिटेल काउन्टर्स से फ्लेवर्ड मिल्क का जाँच हेतु नमूना लिया गया जो कि जाँच में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। नियमों की जानकारी के अभाव में इस प्रकार का कृत्य हुआ है। वर्तमान में उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जाकर विक्रय किया जा रहा है, अतः कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण कराया जावे। अप्रार्थी सं 4 व 5 की ओर से पूर्व में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा उक्त फ्लेवर्ड मिल्क का निर्माण नहीं किया जाता है अपितु इसका क्रय शिव हैल्थ फूड से किया गया था जिसका बिल भी संलग्न है। उनके द्वारा उक्त फ्लेवर्ड मिल्क का क्रय सील पैक कंडीशन में किया गया था तथा उसी अवस्था में विक्रय किया जा रहा था, अतः इस अपराध के लिए उन्हें दोषी नहीं माना जावे।

हमने पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया स्र्टलाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया स्र्टलाइज्ड डबल टोन्ड मिल्क फ्लेवर्ड इलायची कोटा फ्रेश अवमानक सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर **निम्नानुसार** शास्ति आरोपित की जाती है –

1. **निर्माता मैसर्स शिव हैल्थ फूड्स एलएलपी, ई 164–167, एफ 178–183, रीको एग्रो फूड पार्क, फेस–।।, ग्राम रामपुर, झालावाड़ रोड, कोटा जिला कोटा पिन 325003 (अप्रार्थी सं 6) एवं उनके नॉमिनी अप्रार्थी सं 7 श्री द्वारकीलाल नागर पर संयुक्त रूप से रू. 50,000/– (रू. पचास हजार मात्र)**
2. **वितरक जानवी रेस्टोरेन्ट एण्ड कैटर्स, दुकान नम्बर 4/45, न्यू गीता कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड, अजमेर जिला अजमेर अप्रार्थी सं 4 तथा उनके प्रोपराईटर अप्रार्थी सं 5 श्रीमती रश्मि गुप्ता पर संयुक्त रूप से रू. 5,000/– (रू. पाँच हजार मात्र)**
8. **विक्रेता (1) श्री सिल्लू पुत्र श्री सोमबक्श सिंह, (2) श्री सुभाष जैन पुत्र श्री कालूराम जैन, प्रोपराईटर, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर तथा मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (अप्रार्थी सं 1 से 3) पर संयुक्त रूप से रू. 5,000/–**

न्याय निर्णायक अधिकारी

सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 25.03.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2025 / 1348-58 दिनांक : 01/04/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री सिल्लू पुत्र श्री सोमबक्स सिंह, स्टॉल नम्बर 08, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर।
   (स्थायी पता – ग्राम गेवैदपुरा, उमरी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश पिन 477331) **(खाद्य कारोबारकर्ता / वेण्डर)**
6. श्री सुभाष जैन पुत्र श्री कालूराम जैन, प्रोपराईटर, मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर।
   (स्थायी पता– 30, मिशन हॉस्पिटल की गली, रतलाम जिला रतलाम मध्यप्रदेश पिन 457001 (2) 104, वेद व्यास कॉलोनी, रतलाल जिला रतलाम पिन 457001) **(खाद्य कारोबारकर्ता / लाईसेन्सी)**
7. मैसर्स जयन्त एन्टरप्राइजेज, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जिला अजमेर। **(मैसर्स)**
8. जानवी रेस्टोरेन्ट एंण्ड कैटर्स, दुकान नम्बर 4/45, न्यू गीता कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड, अजमेर जिला अजमेर।
   (**पत्राचार का पता** – 454/33, पाल बीचला, अन्धेरी पुलिया के पास, अजमेर जिला अजमेर) **(वितरक)**
9. श्रीमती रश्मि गुप्ता पत्नी श्री दीपक कुमार, प्रोपराईटर जानवी रेस्टोरेन्ट एंण्ड कैटर्स, दुकान नम्बर 4/45, न्यू गीता कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड, अजमेर जिला अजमेर।
   स्थायी पता – 26ए, प्रभात, संत कंवरराम कॉलोनी, फॉयसागर रोड, अजमेर जिला अजमेर **(प्रोपराईटर / वितरक)**
10. शिव हैल्थ फूड्स एलएलपी, ई 164–167, एफ 178–183, रीको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, ग्राम रामपुर, झालावाड़ रोड, कोटा जिला कोटा पिन 325003 **(फर्म / निर्माता)**
11. श्री द्वारकालाल नागर पुत्र श्री नन्दलाल नागर, मैनेजर, शिव हैल्थ फूड्स एलएलपी, ई 164–167, एफ 178–183, रीको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, ग्राम रामपुर, झालावाड़ रोड, कोटा जिला कोटा पिन 325003 **स्थायी पता** – ग्राम डोबरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ **(नॉमिनी / निर्माता)**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर